

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश
- 3- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 15 दिसम्बर, 2023

विषय:- नगर विकास विभाग के अन्तर्गत विकास हेतु आवंटित धनराशि से कराये गये कार्यों में शिलालेख/पट्टिका लगाये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में शासनादेश संख्या-399/नौ-5-16-265सा/16, दिनांक 24.02.2016 एवं शासनादेश संख्या- 6711/नौ-5-18-524सा/2018, दिनांक 20.01.2021 का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विकास कार्यों हेतु नगर विकास विभाग द्वारा स्वीकृत धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेख/पट्टिका में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है; किन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगर विकास विभाग से संबंधित शासकीय धनराशि से कराये गये विकास कार्यों से संबंधित शिलालेख/पट्टिकाओं में मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक का नाम अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाय। ऐसे शिलालेख/पट्टिकाओं में क्रमवार मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, मा0 क्षेत्रीय विधायक एवं तदोपरान्त मा0 महापौर, नगर निगम/मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत का नाम लिखा जाय तथा मा0 क्षेत्रीय विधायक/मा0 महापौर, नगर निगम के नाम की फॉण्ट साइज समान रखी जाय।

ऐसे शिलालेख/पट्टिकाओं में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों के नाम अंकित न किये जायें।

- 3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मा0 महापौर, नगर निगम/मा0 अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
- 3- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 5- निदेशक, उ0प्र0 नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), लखनऊ।
- 6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ।
- 7- नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन के समस्त अनुभाग एवं सूडा अनुभाग।
- 8- गार्ड बुक/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,
15.12.2023
(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।